हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
04/12/24	पत्रावली पेश हुई। अपील नामान्तरण में अपीलार्थी ने स्वयं को प्रभुसिंह पुत्र पं. कैकलाल की प्रथम विवाहित पत्नी की कुक्ष से उत्पन्न होना माना जाकर प्रभुसिंह की समस्त आराजियात का हकदार माना जाकर, प्रभुसिंह की दूसरी पत्नी जो विवाहिता नहीं थी उसकी कुक्ष से उत्पन्न संतानों के नाम इन्तकाल बराबर हिस्से से तस्दीक किये जाने को चुनौती दी है। अधि0 प्रति अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि हो सकता है प्रतिअपीलार्थी की माता का विधिवत प्रभुसिंह से विवाह नहीं हुआ हो, परन्तु इस तथ्य को अपीलार्थी ने भी स्वीकार किया है कि प्रतिअपीलार्थीगण एवं अपीलार्थी के पिता एक ही हैं, अपील के अन्तर्गत विवादित आराजी पैतृक है एवं पिता से विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर प्रभुलाल के समस्त जाईदा वारिसान का समान हक है एवं ग्राम पंचायत बमूलिया कलां द्वारा उचित प्रकार से	

(अंजना [illegible])
उपखण्ड अधिकारी अन्ता
जिला बारां (राज0)

तारीख व हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	नामान्तरण तस्दीक किया है जो बहाल रखे जाने योग्य है। बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी के इस तर्क में कोई बल नहीं है कि अपीलार्थी जायज पत्नी के कुख से उत्पन्न है इसलिए सम्पूर्ण आराजी उन्हीं के हिस्से में आनी चाहिए, ग्राम पंचायत द्वारा पत्नियों के पक्ष में नहीं जबकि संतानों के पक्ष में नामान्तरण तस्दीक किया गया है। अपीलार्थी एवं प्रति अपीलार्थी एक ही पिता की संतान हैं एवं अपीलगत आराजी पैतृक है जो पिता से विरासत में वारिसान को प्राप्त हुई है इसलिए अपील सारहीन एवं विधि-विरुद्ध होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है। निर्णय बरे इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।
	(अंजना सहरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज.)